XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2469–दो / 14 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२-९-१५	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने इस प्रकरण में पूर्व के स्थगन आदेश को आगे बढ़ाया है । पूर्व के आदेश की काई प्रति निगरानी आवेदन के साथ आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है । तहसीलदार ने विवाद की स्थिति के कारण स्थगन दिया है । स्थगन आदेश देना या न देना अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर होता है और उस विवेक का न्यायिक उपयोग नहीं किया गया है इसका कोई आधार आवेदक द्वारा नहीं बताया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पुनरीक्षण ग्राहय योग्य प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राहय की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 2469 - II/14

श्री आर. एस. सेंगर अभिभाषक द्वारा आज दि. 7-8-14 को प्रस्तुत

7-8-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजनारायण मल्लाह आ० स्व० श्री शिवप्रसाद मल्लाह उम्र 32 वर्ष निवासी मौजा देंवरा पोस्ट बचबई तह० रघु० जिला सतना म०प्र०,--- निगराकार

Rssenya
आर. एस. सेंगर
एड
7-8-14

बनाम

---

§1§ शिवप्रसाद मल्लाह आ० स्व० श्री शंकर मल्लाह उम्र 33 वर्ष पेशा खेती ।

§2§ हीरालाल मल्लाह आ०स्व० श्री किशोरी मल्लाह उम्र 26 वर्ष पेशा खेती

दोनो निवासी मौजा देवरा पोस्ट बचबई तह० रघु० जिला सतना म० प्र०--

गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म० प्र० का० मॉल

निगरानी बिरूद्ध, आदेश दिनांक 28.7.014 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार वृत रैगांव तह० रघु० जिला सतना म० प्र०, जरियें राजस्व प्रकरण क्रमांक 16अ70/13-14,

---

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

§1§ यह कि गैर निगराकार गण नें आधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 म० प्र०, कानून मॉल के तहत मौजा देंवरा की आराजी नं. 168/3/ख रकवा 0.045 हे०. के सम्बन्ध में धारा 250 का प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार वृत

राजनारायण